पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर बांय

अनुवान महेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या – 185 / 2025

निर्णय दिनांक 26/06/2025.........

महेन्द्र कुमार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति छिम्पा निवासी बांय तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा बांय पटवार हल्का बांय तहसील तारानगर के खाता संख्या 941 खसरा सं. 2677/267 तादादी 0.1265 हैक्ट. भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी महोदय, तारानगर में वाद संख्या 205/2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2024 की पालना विभाजन प्रस्ताव में नक्शा तरमीम मुताविक कब्जा काश्त के तैयार की गई थी किन्तु उक्त प्राथमिक डिक्री पालना में बने नक्शा के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नही किया गया है। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है कि प्राथमिक डिक्री के संलग्न नक्शे में अंकितानुसार मुताबिक कब्जा काश्त के स्थान पर ही भूमि की तरमीम शुद्ध करवाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर ग्राम पंचायत बांय में पत्रावली पेशी में ली गई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवार हल्का एवं भू.अ.नि. ने प्रार्थी महेन्द्र कुमार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति छिम्पा निवासी बांय खातेदार का इंतकाल संख्या 4287 दिनांक 11.12.2024 न्यायालय आदश के जरिये खाता विभाजन में तरमीम गलत है। सही तरमीम नजरिय नक्शे द्वारा दर्शायी गई है जिसे सही किये जाने की अभिशंपा की जाती है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रार्थी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न पटवार हल्का एवं भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाता विभाजन में तरमीम गलत पायी जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाता विभाजन में तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि मौजा बांय पटवार हल्का बांय तहसील तारानगर के खाता संख्या 941 खसरा सं. 2677/267 तादादी 0.1265 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री 09.10.2024 के संलग्न नक्शे में अंकितानुसार मुताविक कब्जा काश्त के स्थान पर ही भूमि की तरमीम शुद्ध की जावे। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/06/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)